

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-105/2019

अमृत बेनीवाल पुत्री सुमेरसिंह जाति जाट निवासी 99 जनता कॉलोनी जयपुर, तहसील व
जिला जयपुर।
वादीया

बनाम्


1. मलकीतकौर पत्नी अजायबसिंह
 2. देवेन्द्रसिंह
 3. राजेन्द्रसिंह
 4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
- कौम कमोसिख निवासी सूरेवाला हाल गली नं० 03,
इन्द्रा कॉलोनी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला
हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन
मुदई श्री बलविन्द्रसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया
जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादीया अमृत बेनीवाल को चकनं० 13
सीडीआर के खातासं० 39/4 में प०न० 209/262 मु० 8 किलानं० 22/.127 पूर्वी
हिस्सा,प०न० 209/263 मु० 19 किलानं० 2,9/.506 कुल 0.633 है० तथा इसी चक
के खातासं० 127/5 में अंकित प०न० 209/261 मु० 7 किलानं० 11,12,19,20 कुल
1.012 है० ख.प्रतिवादीगणसं० 1 ता 3 को ब०हि०ब० चकनं० 13 सीडीआर के खाता
सं० 39/4 के प०न० 209/262 मु० 8 किलानं० 21/.253, 22/.126 पश्चिमी
हिस्सा,प०न० 209/263 मु० 19 किलानं० 1,10,11/.759 है० कुल 1.138 है० तथा
चकनं० 13 सीडी आर के खातासं० 30/27 में वादीया के नाम से दर्ज .253 है०
आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उपरोक्त अनुसार खाता
अलग से कायम कर रकम राज पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा
चकनं० 13 सीडीआर के खातासं० 127/5 मे से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का नाम
कलमजन व चकनं० 13 सीडीआर के खातासं० 30/27 मे से वादीया का नाम
कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में
अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के
पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/11/19.....को
जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी